उप्पाला बिक्सम उर्फ बिक्समैयाह बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

[2018] 12 एस. सी. आर 600

उप्पाला बिक्सम उर्फ बिक्समैयाह

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील सं. 2010 का 1548)

11 अक्टूबर, 2018

[आर. भानुमति और इंदिरा बनर्जी, न्यायाधीशगण]

दंड संहिता, 1860:धाराएं 302 और 201–हत्या–अभियोजन मामला यह है कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले गया और घर नहीं लौटा–अपीलार्थी के इकबालिया बयान के आधार पर, चरवाहे और भेड़ के मृत शरीर की बरामदगी–अपीलार्थी को भा.द.वि. की धारा 302/201 के तहत निम्न न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास का अधिरोपण–की संधारणीयता –अभिनिर्धारित: अभियोजन मामले की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या परिस्थितियां स्थापित हैं और वे अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने में एक पूरी श्रृंखला बनाते हैं–तथ्यों पर, चरवाहे की मृत्यु हत्या थी–यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि गवाह से बरामद भेड़ में कोई अलग निशान था ताकि यह पहचान की जा सके कि वह मृतक की थी–कथित इकबालिया बयान के आधार पर मृत शरीर की बरामदगी का मामला अपीलार्थी के खिलाफ संदेह पैदा कर सकता है कि वह घटना में शामिल हो सकता है लेकिन केवल संदेह ही खुद को सबूत का स्थान नहीं ले सकता है–'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच एक व्यापक अंतर है–इस प्रकार, दोषसिद्धि अंतर्गत धारा 302/201 भा.द.वि. स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है , जब हत्या के लिए जिम्मेदार उद्देश्य भेड़ की चोरी है, और अपीलार्थी को उसी से बरी कर दिया गया है–इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया गया है।

एस. डी सोनी बनाम गुजरात राज्य ***(1992) पूरक 1 एस. सी. सी. 567;*** *वेंकटेशन बनाम तमिलनाडु राज्य* ***(2008) 8 एस. सी. सी. 456;*** *राज कुमार सिंह उर्फ राजू उर्फ बट्चा बनाम राजस्थान* ***राज्य (2013) 5 एस. सी. सी. 722–****संदर्भित।*

संदर्भित न्याय निर्णयन

(1992) सप।1 एससीसी 567	से संदर्भित	पैरा 6
(2008) 8 एससीसी 456	से संदर्भित	पैरा 6
(2013) 5 एससीसी 722	से संदर्भित	पैरा 10

आपराधिक अपील **क्षेत्राधिकार:** आपराधिक अपील सं. 2010 की 1548।

फौजदारी अपील सं. 2004 की 479 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ हैदराबाद के द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 27.02.2006 से

अन्नाम डी. एन. राव, ए. वेंकटेश, राहुल मिश्रा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एस. उदय कुमार सागर, मृत्युंजय सिंह, श्रीमती डी. भारती रेड्डी, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया द्वारा

भानुमति, न्यायाधीश:1. यह अपील आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ हैदराबाद द्वारा आपराधिक अपील क्र. 479/2004 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 03.07.2015 से उत्पन्न होती है। और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 302/201 *भा.द.वि.* के तहत दोषी ठहराए जाने और उस पर लगाए गए आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की है।

2. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 27.01.2000 पर, मृतक–रमेश, एक चरवाहा, अपनी 19 भेड़ों को बीबीगुडेम गांव के बाहरी इलाके में चराने के लिए ले गया; लेकिन घर नहीं लौटा। 28.01.2000 पर, जब पीडब्लू–1 और उसके परिवार के सदस्य मृतक की तलाश कर रहे थे, उन्हें शेख नसीम (पीडब्लू–9) के कब्जे में तीन भेड़ें मिलीं, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि लिंगैया (पीडब्लू–5) ने उन्हें वे भेड़ें बेच दी थीं।जब उन्होंने लिंगैया (पीडब्लू–5) से पूछताछ की, तो उन्होंने उन्हें सूचित किया कि अपीलकर्ता–उप्पला बिक्सम ने उन भेड़ों को 100/– रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त करके बेच दिया था। दिनांक 29.01.2000 को अपीलार्थी–अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया गया।जाँच के दौरान अपीलार्थी ने कथित रूप से मृतक की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा 302/201 आई. पी. सी. के तहत भी मामला दर्ज किया गया।अभियोजन पक्ष का मामला, अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर है कि मृतक का शव एक पुलिया के नीचे से बरामद किया गया था।

3. साक्ष्य पर विचार करने पर, विशेष रूप से, भेड़ की बरामदगी के साक्ष्य और मृतक के शव की बरामदगी–रमेश अपीलार्थी के कथित इकबालिया बयान के आधार पर (जिसे अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अस्वीकार कर दिया गया था), विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 302 आई. पी. सी. के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। धारा 201 आई. पी. सी. के तहत दोषसिद्धि के लिए अपीलार्थी को छह महीने की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी।उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि और कारावास की सजा की पुष्टि की गई थी।

4. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और विवादित निर्णय और अभिलेख पर साक्ष्य और सामग्री का भी अध्ययन किया है।

5. अपीलार्थी–अभियुक्त की दोषसिद्धि मुख्य रूप से परिस्थितियों पर आधारित थी:(i) अपीलार्थी–अभियुक्त के कहने पर मृतक–रमेश का शव बरामद किया गया था; (ii) अपीलार्थी–अभियुक्त के बारे में कहा गया था कि उसने तीन भेड़ें लिंगैया (पीडब्लू–5) को बेच दी थीं, जिसने बाद में शेख नसीम (पीडब्लू–9) को बेच दी थीं।पूछताछ किए जाने पर, शेख नसीम (पीडब्लू–9) ने बताया कि उसने भेड़

को लिंगैया (पीडब्लू–5) से खरीदा था, जिसने उन्हें अपीलकर्ता से खरीदी थी और बाकी भेड़ को अपीलकर्ता–आरोपी की बहन पीडब्लू–8 के घर में रखा गया था।

6. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसे साक्ष्य को तीन परीक्षणों को पूरा करना चाहिए:(i) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है, उन्हें ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए; (ii) वे परिस्थितियां एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो बिना किसी संदेह के अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हैं; (iii) परिस्थितियों को, संचयी रूप से लिया जाए, तब एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जिससे यह निष्कर्ष निकले कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था अन्य किसी_के द्वारा नहीं।[एस. डी. सोनी बनाम गुजरात राज्य, (1992) पूरक 1 एस. सी. सी. 567 और वेंकटेशन बनाम तमिलनाडु राज्य (2008) 8 एस. सी. सी. 456]

7. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सुव्यवस्थित सिद्धांतों के आलोक में, अभियोजन पक्ष के मामले की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या परिस्थितियाँ स्थापित हैं और क्या वे अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने में एक पूरी श्रृंखला बनाते हैं।

8. स्वीक्रत रूप से , रमेश की मृत्यु हत्या थी।अभियोजन पक्ष मुख्य रूप से उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि अपीलार्थी–अभियुक्त ने लिंगैया (पीडब्लू–5) को तीन भेड़ें बेचीं और उसने अपीलार्थी–अभियुक्त से भेड़ें खरीदी थीं।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, तीन भेड़ें वास्तव में नेम्मिकल के शैंडी में पाई गई थीं और वे पीडब्लू–9 के कब्जे में थीं।पूछने पर, पीडब्लू–9 ने बताया कि उसने शेख नसीम (पीडब्लू–5) से भेड़ खरीदी थी; जिसने बाद में बताया कि उसने अपीलकर्ता–आरोपी से उक्त तीन भेड़ें खरीदी थीं।पीडब्लू–10 और अन्य गवाह जिनसे अभियोजन पक्ष ने भेड़ों की बरामदगी के बावत पूछताछ की है, ने कहा है कि बरामद की गई भेड़ों की पहचान करने के लिए भेड़ों पर कोई विशिष्ट पहचान चिह्न नहीं था।यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि लिंगैया (पीडब्लू–5) से बरामद की गई भेड़ों पर कोई अलग पहचान चिह्न था ताकि उन भेड़ों की पहचान मृतक–रमेश की भेड़ों के समान की जा सके।अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी–अभियुक्त की बहन के घर से भेड़ की बरामदगी पर भी भरोसा किया है।यहाँ फिर से, यह दिखाने के लिए कुछ भी सबूत नहीं लाया गया है कि पीडब्लू–8 से बरामद भेड़ों पर कोई अलग निशान था ताकि मृतक–रमेश की भेड़ों के समान पहचान की जा सके। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 382 के तहत आरोप से बरी कर दिया।

9. अभियोजन पक्ष द्वारा जिस एकमात्र अन्य परिस्थिति पर भरोसा किया जाता है, वह है अपीलार्थी अभियुक्त के कबूलनामे के आधार पर मृतक–रमेश के शव की बरामदगी।हमारे सुविचारित विचार में यह एकमात्र परिस्थिति ही अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपनी पूछताछ में अपीलार्थी–अभियुक्त ने किसी भी इकबालिया बयान देने और मृतक–रमेश के शव की बरामदगी से इनकार किया है।यह भी तर्क दिया गया कि घटना के दो दिन बाद मृतक–रमेश का शव बरामद होने से भी अभियोजन पक्ष के मामले के बारे में संदेह पैदा होता है।

10. स्वीकारोक्ति के आधार पर शव की बरामदगी की परिस्थिति से संकेत मिल सकता है कि आरोपी घटना में शामिल हो सकता है।हालाँकि, जैसा कि राज कुमार सिंह उर्फ राजू उर्फ बट्या बनाम

राजस्थान राज्य, (2013) 5 एस. सी. सी. 722 में माना गया है कि संदेह कितना भी गंभीर हो, लेकिन सबूत की जगह नहीं ले सकता है।"हो सकता है" और "होना ही चाहिए" के बीच एक व्यापक अंतर है। वर्तमान मामले में, कथित इकबालिया बयान के आधार पर मृत शरीर की बरामदगी की परिस्थिति अपीलार्थी–अभियुक्त के खिलाफ संदेह पैदा कर सकती है कि वह घटना में शामिल हो सकता है, लेकिन केवल संदेह ही स्वतः साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है।हमारे विचार में आई. पी. सी. की धारा 302/201 के तहत दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है, विशेष रूप से तब जब हत्या का कारण भेड़ की चोरी है और अभियुक्त–अपीलार्थी को चोरी के आरोप से बरी कर दिया गया है।

11. परिणामस्वरूप, विवादित आदेश को अपास्त किया जाता है और अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है और उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाता है जब तक कि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता न हो।